न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 51/2010

उनवान

1. गिरधारी पुत्र दीपा उर्फ दीपसिंह
2. छोगसिंह पुत्र पूनम उर्फ पूनमसिंह
3. दल्लासिंह पुत्र मंगलसिंह
4. प्यारसिंह पुत्र मंगलसिंह

समस्त जाति रावत निवासी गोंहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. काना पुत्र घीसा (नाम तर्क दिनांक 8.8.18)
2. मदन पुत्र घीसा

समस्त जाति रावत निवासी गोहाना तहसील ब्यावर, जिला–अजमेर।

3. अजय कुमार अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश
4. मोनिका पत्नि श्री अजय कुमार

समस्त जाति अग्रवाल निवासी गोहाना हाल निवासी मीराबाई के मंदिर के पास, चम्पानगर, ब्यावर।

5. आवंटन अधिकारी कैम्प गोहाना, तहसील ब्यावर (उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर) .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री दिलीपसिंह राठौड	अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत	अभिभाषक अप्रार्थी सं0 03,4
3. श्री हेमराज राठौड	राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक – 16.08.2018

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गोहाना स्थित आराजी खसरा नं0 1437 रकबा 12–03–00 किस्म बारानी 3 पर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से काबिज चले आ रहे है। प्रश्नगत आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध रूप से आवंटी को आंवटन कर दी गई। नियमानुसार कब्जा काश्त अनुसार ही आवंटन नियमन होना जाना चाहिये था। किन्तु अप्रार्थी सं 01 व 02 के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर तथ्य छिपाकर अपने पक्ष में आवंटन करवा लिया तथा आगे अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को बेचान कर दिया। उक्त आवंटन को विधि विरूद्ध बताते हुए आवंटन को निरस्त फरमाने एवं प्रार्थीगण के हक में विवादित भूमि के नियमन किये

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जाने के अनुतोष के प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस उनकी मृत्यु के कारण अदम तामिल प्राप्त हुआ, अप्रार्थी सं0 03, 04, 05 जरिये अभिभाषक तथा अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम तर्क का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मूल प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर के आराजी खसरा नं0 1437 रकबा 12–03–00 किस्म बारानी 3 पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पूर्वज घीसा पुत्र भोमा रावत का कब्जा काश्त नहीं रहा। जबकि प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से काबिज चले आ रहे है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध रूप से प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी 1 व 2 के पिता को आंवटन कर दी गई। नियमानुसार कब्जा काश्त अनुसार ही आवंटन नियमन किया जाना चाहिये था। किन्तु अप्रार्थी सं 01 व 02 के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर तथ्य छिपाकर अपने पक्ष में आवंटन करवा लिया तथा आगे अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को बेचान कर दिया। प्रश्नगत आराजी को प्रार्थीगण अपनी पशुओं को बॉधने एवं चारा डालने के उपयोग उपभोग में लेते आ रहें है। दिनांक 21.3.2010 को रात्रि में अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 मजदूर व मिस्त्री के साथ आये तथा प्रार्थी के कब्जा शुदा बाडे को तोड़फोड कर बाउन्ड्री को तहस नहस कर दिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक अजमेर तथा थानाधिकारी ब्यावर को की गई। तत्पश्चात विवादित भूमि की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि खसरा संख्या 1437 जिसे समस्त ग्रामवासी सिवायचक भूमि समझते थे तथा प्रार्थी संख्या 01 को कब्जे के आधार पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 28.03.86 को भू राजस्व अधिनियम 1955 के आवंटन नियम 1961 के तहत 500 वर्ग गज बाडा आवंटित किया था वह भूमि दिनांक 18.7.1987 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 के पिता घीसा पुत्र भोमा रावत को आवंटित कर दी गई। इस भूमि के पास ही प्रार्थी गिरधारी एवं उसकी पत्नी की खातेदारी भूमि खसरा सं0 1438/2273/1 एवं खसरा संख्या 1439/2274/1 स्थित है। विवादित खसरा भूमि पर ग्राम गोहाना से जाने वाला करीब 35–35 फीट का रास्ता बना हुआ है जिस पर विद्युत लाइन निकली हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से विवादित भूमि पर काबिज होने के तथ्यों को नजरअन्दाज कर दिनांक 18.07.1987 को किया गया आंवटन विधि अनुसार नहीं होने तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कपट पूर्वक किये जाने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1987 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण के हक में विवादित भूमि का नियमन किये जाने की अनुशंषा करवाने का आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने प्रार्थना पत्र कथनों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः कथन किया कि ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर की प्रश्नगत आराजी विधिक प्रावधानों के तहत राजस्व शिविर में विधिवत आवेदन करने पर ही घीसा पुत्र भोमा को आवंटित की गई थी। राजस्व शिविर में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के पिता के अतिरिक्त अन्य 6 व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया था। राजस्व कैम्प गोहाना में दिनांक 25.5.95 को राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से समस्त

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जांच पडताल/कार्यवाही पूर्ण कर प्रश्नगत आराजी आवंटी घीसा पुत्र भोमा के वारिसान के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 03, 04 द्वारा मूल्यवान प्रतिफल देकर प्रश्नगत भूमि क्रय की तथा विधिवत रूप से क्रयशुदा भूमि पर सद्भाविक केता के रूप में काबिज है। प्रार्थीगण के स्वयं के बाडे होने तथा पट्टा जारी होने के कथन पूर्णतया असत्य है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि से कोई संबध सरोकार नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधिवत रूप से विवादित भूमि का आवंटन/नियमन दिनांक 18.7.1987 को अप्रार्थी सं0 01, 02 के पिता के पक्ष में किया गया था। प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में आवंटन संलाहकार समिति द्वारा मजमें आम में किये आवंटन को विधिवत् बताया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.7.87 को राजस्व कैम्प गोहाना तहसील ब्यावर में ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा नं0 1437 रकबा 13–03–00 किस्म बारानी 03 का आवंटन घीसा/भोमा रावत गोहाना को अन्य 6 व्यक्तियों के साथ आवंटित की गई। आवंटन आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 88 द्वारा दिनांक 11.1.88 को गैर खातेदार के रूप में आवंटी तथा आवंटी के फौत होने पर दिनांक 12–13/6/97, समस्या समाधान शिविर–1992 कैम्प गोहाना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 197 वारिसान का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात राजस्व कैम्प गोहाना दिनांक 29.5.95 को जरिये शुद्धि पत्र खसरा नं0 1437 का रकबा 13–03–00 के स्थान पर रकबा 12–03–00 दर्ज किया गया तथा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित कथनों बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत भूमि बाबत किये गये आवंटन में कोई कपटपूर्ण एवं किसी प्रकार से विधि विरूद्ध तथ्य नहीं पाया जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर